~~प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट~~

परिशिष्ट 'उनतीस'

विधानसभा प्रश्न क्रमांक - 579 तारांकित की जानकारी / परिशिष्ट - 1

प्रश्न सं. [क्र. 579]

[17/7/2017]

41

मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

पत्र कमांक B3-1/2017/14-2 भोपाल, दिनांक 23 जून, 2017

प्रति,

श्री आशीष कुमार भुटानी
संयुक्त सचिव,(साख एवं सहकारिता)
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार,
नई दिल्ली ।

विषयः– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऋणी कृषकों के लिए वैकल्पिक करने बावत्।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदेश में खरीफ 2016 से लागू की गई है। योजना के मार्गदर्शी निर्देशिका के बिन्दु क्र.– II – 2 एवं 3 के अनुसार योजना समस्त फसल ऋण लेने वाले कृषकों के लिए अनिवार्य है एवं अऋणी कृषकों लिए ऐच्छिक है। योजना के प्रावधान अनुसार ऋणी किसानों का अनिवार्य रूप से बीमा कराया जा रहा है। मध्यप्रदेश में खरीफ 2016 में लगभग ऋणी कृषकों का 34.48 लाख एवं अऋणी कृषकों का 3.87 लाख तथा रबी 2016–17 में ऋणी कृषकों का 26.67 लाख एवं अऋणी का 1.09 लाख, इस प्रकार वर्ष 2016–17 में कुल 66.13 लाख कृषकों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत फसल बीमा कराया गया है। प्रदेश में कुल 88.72 लाख कृषक है, जिनमें लघु एवं सीमांत कृषक 71.4 प्रतिशत है।

प्रदेश के अनेक कृषक संगठनों द्वारा फसल बीमा को ऋणी कृषकों हेतु ऐच्छिक करने हेतु मांग की जा रही है। कृषकों की व्यापक मांगों को दृष्टिगत रखते हुए मंत्री परिषद की कृषि क्षेत्रक मामलों की समिति (कृषि केबिनेट) की बैठक दिनांक 07 जून 2017 में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में फसल बीमा ऋणी कृषकों के लिये भी स्वैच्छिक किए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जावे ।

अतः कृषकों की मांगो को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल बीमा ऋणी कृषकों के लिये खरीफ 2017 से ही ऐच्छिक किया जाना प्रस्तावित है। कृपया प्रस्ताव को सहमति प्रदान कर भारत सरकार से तद्संबंधी निर्देश प्रसारित करने का अनुरोध है।

(डॉ. राजेश राजोरा)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग...

परि० – 1/2

(2)

पृ.क्र. 384/2017/14-2 भोपाल, दिनांक 23 जून, 2017

प्रतिलिपि :-

01. सचिव, भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली

02. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

03. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग...

मोहन लाल
(भा.प्र.से.)
संचालक

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश

कार्यालय : 0755 - 2551336
फैक्स : 0755 - 2572468
मोबाईल : +91 94250 36356
विंध्याचल भवन भोपाल, मध्यप्रदेश

अर्द्ध शा. पत्र क्र/फ.बी./18/2017/
881 भोपाल, दिनांक 23/6/017

विषयः– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऋणी कृषकों के लिए वैकल्पिक करने बावत्।

आदरणीय श्री,

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदेश में खरीफ 2016 से लागू की गई है। योजना के मार्गदर्शी निर्देशिका के बिन्दु क्र.– II – 2 एवं 3 के अनुसार योजना समस्त फसल ऋण लेने वाले कृषकों के लिए अनिवार्य है एवं अऋणी कृषकों लिए ऐच्छिक है। योजना के प्रावधान अनुसार ऋणी किसानों का अनिवार्य रूप से बीमा कराया जा रहा है। मध्यप्रदेश में खरीफ 2016 में लगभग ऋणी कृषकों का 34.48 लाख एवं अऋणी कृषकों का 3.87 लाख, तथा रबी 2016–17 में ऋणी कृषकों का 26.67 लाख एवं अऋणी का 1.09 लाख, इस प्रकार वर्ष 2016–17 में कुल 66.13 लाख कृषकों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत फसल बीमा कराया गया है। प्रदेश में कुल 88.72 लाख कृषक है, जिनमें लघु एवं सीमांत कृषक 71.4 प्रतिशत है।

प्रदेश के अनेक कृषक संगठनों द्वारा फसल बीमा को ऋणी कृषकों हेतु ऐच्छिक करने हेतु मांग की जा रही है। कृषकों की व्यापक मांगों को दृष्टिगत रखते हुए मंत्री परिषद की कृषि क्षेत्रक मामलों की समिति (कृषि केबिनेट) की बैठक दिनांक 07 जून 2017 में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में फसल बीमा ऋणी कृषकों के लिये भी स्वेच्छिक किया जाये ।

अतः कृषकों की मांगो को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फसल बीमा ऋणी कृषको के लिये खरीफ 2017 से ही ऐच्छिक किया जाना प्रस्तावित है। कृपया प्रस्ताव को सहमति प्रदान कर भारत सरकार से तद्संबंधी निर्देश प्रसारित करने का अनुरोध है।

सादर,

भवदीय,
23/6/17
(मोहन लाल)

श्री आशीष कुमार भुटानी
संयुक्त सचिव,(साख एवं सहकारिता)
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार,नई दिल्ली

परिशिष्ट-1
पृष्ठ-1 से 3 तक

AOA

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन
कृषि विभाग [शाखा - 2].